न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Eviction Appean No.-09/2018–19

दिलीप सिंह
बनाम
सम्शेर मियॉ

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

<u>आदेश</u>

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता दिलीप सिंह, पिता–स्व0 फामी सिंह, सा0–सुन्दरपुर, थाना–हिरणपुर, जिला– पाकुड़ झारखण्ड के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आई0ई0आर0 वाद सं0– 57/2016–17 में दिनांक–31.01.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद में शमशेर मियॉ उर्फ शमशेर अंसारी, पिता–कासीम मियॉ, सा0–जबरदाहा, थाना–हिरणपुर, जिला पाकुड़, झारखण्ड को पक्षकार बनाया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि शमशेर मियॉ (इस वाद के उत्तरवादी) के द्वारा अंचल–लिट्टीपाड़ा के मौजा–जबरदाहा के जमाबंदी सं0–58 के दाग सं0–583 अन्तर्गत आंशिक रकवा 24फीट X 13फीट जमीन से दिलीप सिंह (इस वाद के अपीलकर्त्ता) को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर आर0ई0आर0 वाद सं0–57/16–17 प्रारम्भ करते हुए दिनांक–31.01.2019 को अंतिम रूप से पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि से दिलीप सिंह (इस वाद के अपीलकर्त्ता) को उच्छेद किया गया। यह अपील वाद इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तार से सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की सही तरीके से विवेचना नही की गई तथा केवल अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है तथा निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत दाग अन्तर्गत कुल रकवा 00–11–10 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में मकबुल मियॉ एवं मफीजुद्धीन मियॉ दोनो का पिता–चौधरी मियॉ के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में मफीजुद्धीन मियॉ को नावल्द बताया गया है जबकि वो नावल्द नही थे, बल्कि उनके एक पुत्र अबुल मियॉ हुए एवं वर्तमान में उनके वंशज जीविज है। अतः सम्पति केवल मकबुल मियॉ के वंशजों की नहीं है।

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में किस्म बाड़ी कहकर दर्ज है। बाड़ी किस्म की भूमि कृषि भूमि नही है अतः SPT Act 1949 की धारा 42 इस पर लागू नही होगी। धारा 42 केवल कृषि भूमि पर लागू होती है। प्रश्नगत भूमि 24फीट X 13फीट जमीन उन्हें सरकार द्वारा सलाना किराये पर बंदोवस्त की गई है तथा इसका लगान भी अपीलकर्त्ता अदा करते आ रहें है। उत्तरवादी के द्वारा निम्न न्यायालय में Cause of Action के बारह वर्षो के बाद आवेदन दाखिल किया गया है, जो कालबाधित है। प्रश्नगत मामला Civil Nature का है तथा यह कोर्ट इसके निर्णय हेतु सक्षम नही है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–583 अन्तर्गत कुल रकवा 00–11–10 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में खतियानी रैयत मकबुल मियाँ एवं मफीजुद्दीन मियाँ के नाम से दर्ज है। मफीजुद्दीन मियाँ की मृत्यू नावल्द हो गई। उत्तरवादी खतियानी रैयत मकबुल मियाँ के पौत्र है तथा इस तरह प्रश्नगत भूमि के वैद्य उत्तराधिकारी है। अपीलकर्त्ता का खतियानी रैयत से कोई संबंध नही है तथा वे बाहरी व्यक्ति है। दाग सं0–583 से सटे दाग सं0–582 अवस्थित है जो अनावादी खाता में हाट कहकर दर्ज है। उक्त हाट से संबंधित दाग सं0–582 में कुछ व्यक्तियों को वार्षिक भूतल भाड़ा पर व्यवसाय चलाने हेतु अस्थायी बंदोवस्ती दी गई थी। ऐसे बंदोबस्तदार उनकी जमीन दाग सं0–583 में अवैध रूप से कब्जा कर लिये है। दाग सं0–583 खतियान में बाड़ी आउल कहकर दर्ज है जो कृषि भूमि है। उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की बिल्कुल सही तरीके से विवेचना कर आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के क्रम में मो0 अली एवं तबरेज मियां, पिता–अबुल मियां के द्वारा इस वाद में पक्षकार बनाने हेतु Intervenor Petition दाखिल किया गया। परन्तु खतियानी रैयत से वे अपना कोई संबंध स्थापित करने में असफल रहे। अतः Intervenor Petition को अस्वीकृत किया जाता है।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि मौजा–जबरदाहा नं0–15 एक अक्रियशील मौजा है तथा जमाबंदी सं0–58 के दाग सं0–583 अन्तर्गत 00–11–10 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में मकबुल मियाँ एवं मफीजुद्दीन मियाँ के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा के

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

पत्रांक–142/रा0, दिनांक–08.05.2013 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का किस्म बाड़ी आउल खतियान में दर्ज है। उत्तरवादी शमशेर मियाँ खतियानी रैयत मकबुल मियाँ के वंशज है। अन्य खतियानी रैयत मफीजुद्दीन मियाँ की मृत्यू नावल्द प्रतिवेदित की गई है।

अपीलकर्त्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का किस्म बाड़ी है अतः SPT Act 1949 की धारा 42 इस पर प्रभावी नही होगी। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा Jhagru Mahto Vrs. Ravan Hansda 1972 BLJR xxvii में दर्ज न्याय निर्णय प्रासंगिक है, जिसका उद्धरण निम्नवत् है :–

"The expression Agricultural land has not been defined anywhere in the act and in the ordinary course it may mean a peace of land over which operation of husbandry may be carried on. In this connection it is better to refer sec 69 of the act. It base acquisition of right inter alia over the official holding grassing land, Jaher than and burning and burial ground etc. Agricultural land include all the land on which agricultural process are carried on. Land fit for cultivation or land required for persons or animals connected with the agricultural aperation usually carried on in the village."

स्पष्ट है कि बाड़ी आउल भूमि कृषि भूमि ही है, अतः SPT Act 1949 की धारा 42 इस पर प्रभावी होगी।

अपीलकर्त्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उन्हें वार्षिक किराया पर बंदोवस्त की गई है, परन्तु इस संदर्भ में उनके द्वारा कोई कागजात/दस्तावेज दाखिल नही किया गया, जिससे उनके दावे की पुष्टि हो सके। वैसे भी रैयती जमीन को बंदोवस्त किए जाने का कोई प्रावधान SPT Act 1949 में नही है। अतः उनके इस दावे को स्वीकार नही किया जा सकता है।

अपीलकर्त्ता का यह भी कहना है कि प्रश्नगत मामले में उत्तरवादी का आवेदन कालबाधित है तथा मामला Civil nature का है। इस संदर्भ में SPT Act 1949 की धारा 64 का उल्लेख किया जाना उचित है। उक्त धारा का उद्धारण निम्नवत् है :–

"All applications made under this act for which no period of limitation is provided else where in this act, shall be made within one year from date of the accruing of the cause of action : Provided that there shall be no period of limitation for an application under sction 42"

उक्त धारा से स्पष्ट है कि Sec 42 के तहत limitation की कोई अवधि नहीं है। प्रश्नगत मामला Civil nature का कैसे हो सकता है इस संदर्भ में अपीलकर्त्ता

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

मौन है।

प्रश्नगत मामले में अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा के पत्रांक–588/रा0, दिनांक–15.12.2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदनानुसार अपीलकर्त्ता द्वारा दाग सं0–583 पर रकवा 24फीट X 13फीट भूमि पर दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि रिविजनकर्त्ता द्वारा दाग सं0–583 अन्तर्गत रकवा 24फीट X 13फीट भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्य पूर्ण एवं तर्कसंगत कारण नही है।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत भूमि से SPT Act 1949 की धारा 42 के तहत् उच्छेद किया जाता है। शेष आदेश यथावत् रहेंगा। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उप समाहर्ता,
पाकुड़।

उप समाहर्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.06 13:26:45 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:95:b6bf:3557:abc9

Scanned with CamScanner